परिशिष्ट । (पैराग्राफ 1.1 देखें)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त निकायों की सूची

| स्वा | यत्त निकाय | स्थापना | पंजीकरण अधिनियम |
|------|--|---------|--------------------------------|
| | | वर्ष | |
| 1. | आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे | 1946 | सोसायटीज पंजीकरण (महाराष्ट्र) |
| | | | नियम, 1971 |
| 2. | आर्यभटट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, | 1954 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण |
| | नैनीताल | | नियम, 1976 |
| 3. | बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान | 1946 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण |
| | संस्थान, लखनऊ | | नियम, 1976 |
| 4. | बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता | 1917 | पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण |
| | | | एक्ट, 1961 |
| 5. | सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साईंस, | 1991 | कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, |
| | बैंगलुरु | | 1960 |
| 6. | इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन | 1876 | पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण |
| | ऑफ साईंस, कोलकाता | | एक्ट, 1961 |
| 7. | भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, | 1786 | कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, |
| | बैंगलुरु | | 1960 |
| 8. | भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुबंई | 1971 | सोसायटीज पंजीकरण (महाराष्ट्र) |
| | | | नियम, 1971 |
| 9. | इंटरनेशनल एडवांसड रिसर्च सेंटर फॉर | 1997 | आंध्रप्रदेश सोसायटीज पंजीकरण |
| | पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, | | एक्ट, 2001 |
| | हैदराबाद | | |
| 10. | नैनो बिज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, | 2013 | सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860 |
| | मोहाली | | |
| 11. | विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में उन्नत | 1979 | सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860 |
| | अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी | | |
| 12. | भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी | 1987 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण |
| | नई दिल्ली | | नियम, 1976 |
| 13. | भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई | 1935 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण |
| | दिल्ली | | नियम, 1976 |

| स्वायत्त निकाय | स्थापना वर्ष | पंजीकरण अधिनियम |
|--|-----------------|---|
| 14. भारतीय विज्ञान अकादमी बैगलुरु | 1934 | कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960 |
| भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता | 1914 | पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961 |
| 16. जवाहर लाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बैंगलुरु | 1989 | कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960 |
| 17. राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड नई दिल्ली | 1981 | सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860 |
| 18. राष्ट्रीय इनोवेशन फांउडेशन अहमदाबाद | 2000 | सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860 |
| 19. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी - भारत, इलाहाबाद | 1930 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976 |
| 20. नोर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रिसर्च नई दिल्ली | 2012 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976 |
| 21. रमण अनुसंधान संस्थान बैंगलुरु | 1948 | कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960 |
| 22. साईंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नई दिल्ली | 2008 | संसद एक्ट |
| 23. सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंस कोलकाता | 1986 | पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961 |
| 24. श्री चित्रा तिरुनल आर्युविज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, तिरुवन्नतपुरम | 1973 | संसद एक्ट |
| 25. प्रोद्योगिकी विकास बोर्ड नई दिल्ली | 1996 | संसद एक्ट |
| 26. प्रोद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली | 1988 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976 |
| 27. विज्ञान प्रसार नोएडा | 1989 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976 |
| 28. वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून | 1968 | उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976 |

परिशिष्ट-II (पैराग्राफ 1.4 देखें) स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया व्यय तथा सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

| | स्वायत्त निकाय | 2009-14 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | 2009-14 के दौरान हुआ व्यय |
|-----|--|---|---------------------------------|
| 1. | अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे | 69.53 | 72.06 |
| 2. | आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल | 158.23 | 140.21 |
| 3. | बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ | 104.91 | 116.96 |
| 4. | बोस संस्थान, कोलकाता | 253.22 | 259.79 |
| 5. | सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइन्स, बंगलुरू | 23.92 | 24.96 |
| 6. | इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता | 281.02 | 314.08 |
| 7. | भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलुरू | 243.26 | 242.46 |
| 8. | भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई | 136.08 | 144.68 |
| 9. | इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद | 241.04 | 257.03 |
| 10. | भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली | 67.49 | 81.08 |
| 11. | भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरू | 49.80 | 52.01 |
| 12. | जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरू | 253.22 | 278.48 |
| 13. | राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी-इंडिया, इलाहाबाद | 43.99 | 43.99 |
| 14. | रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू | 183.27 | 188.63 |
| 15. | सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्स, कोलकाता | 148.25 | 153.88 |
| 16. | श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम | 451.15 | 777.04 |
| 17. | प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली | 41.00 | 416.60 |
| 18. | प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली | 81.69 | 94.95 |
| 19. | वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहराद्न | 131.87 | 136.57 |
| | कुल | 2,962.94 | 3,795.46 |

परिशिष्ट ॥ (पैराग्राफ 3.2 देखें)

स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में प्रतिबंधित उपबंधों के समावेश की स्थिति कि परिलब्धियां ढांचे से संबंधित प्रस्ताव और उसका पुनरीक्षण के लिए एमओएफ़ के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगा

| स्वायत्त निकाय | स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में मौजूदा उपबंध का विवरण |
|--|---|
| आरआरआई, सीएनएसएमएस, जेएनसीएएसआर, एआरआईईएस, आईआईए | परिषद समय समय पर संस्थान के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते निर्धारित करेगा। समान्यतः यह इसकी श्रेणी के केन्द्रीय सरकार कर्मचारी के संबंध में केंद्र सरकार के मानकों का पालन करेगा। |
| एसएनबीसीबीएस, एनएएसआई | केंद्र के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें सिहत परिलब्धियां ढांचा सामान्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतू भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रतिमानों का अनुसरण करेगा। |
| डबल्यूआईएचजी | संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए वेतनमान बाई-लॉज में निहित अनुसूची में विनिर्दिष्ट होना चाहिए। भत्ता ढांचा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी की तरह ही लागू होगा। |
| बीआई | संस्थान के नियमित कर्मचारियों का वेतनमान समय-समय पर भारत सरकार के परमर्श से निर्धारित किया जाएगा। |
| बीएसआईपी | किसी भी स्थाई आदेशों जो संस्थान के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं, के अधीन शासी निकाय द्वारा उनकी परिलब्धियां, भत्ते एवं अन्य संबंधित मामले से संबंधित बनाए गए नियमों द्वारा संस्थान के कर्मचारी शासित किए जाएगे। |
| आईएसीएस | परिषद ग्रुप ए श्रेणी सहित सभी तरह की नियुक्तियां करेगा तथा मौजूदा भारत सरकार के नियमों के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित करेगा। |
| एआरसीआई | संस्थान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीसीएस (वेतन नियमावली) के अनुसार वेतन ढांचा अपनाएगा। |
| आईएएस | अकादमी के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें परिषद द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियमों द्वारा शासित किए जाएगे। |
| आईएनएसए | केंद्र सरकार के नियमों को पालन करने के लिए कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें जो सेवा शर्तों एवं वित्त को प्रभावित करती हैं, के पुनीरीक्षण/अंगीकरण पर विचार करने तथा परिषद को सिफ़ारिशें करने के लिए व्यवस्था किया गया था। |

| स्वायत्त निकाय | स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में मौजूदा उपबंध का विवरण |
|----------------|---|
| आईआईजी | सभी पदों के लिए वेतनमान और भत्ते सामान्यतः वैसा ही होगा जैसा कि संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो तथा व्यापक रूप से केन्द्रीय सरकार के अनुरूप होगा। |
| एआरआई | सभी पदों का पद वेतनमान एवं भत्ते वही होंगे जो संस्थान परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए हो। वेतनमान के पुनीरीक्षण हेत् डीएसटी से पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। |
| टीआईएफ़एसी | वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें शासी निकाय द्वारा बनाए गए कर्मचारी नियम द्वारा शासित किए जाएगे। |

परिशिष्ट IV (पैराग्राफ 3.3.1 देखें)

11 स्वायत्त निकार्यों के शासी परिषद/शासी निकाय द्वारा अनियमित रूप से सृजित किए गए पर्दों का विवरण

| स्वायत्त निकाय | सृजन/अपग्रेड | अपग्रेड किए गए | स्तर | वेतन पर | लेखापरीक्षा टिप्पणी पर |
|-----------------------|--------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| | किए गए | पद का नाम | | किए गए | स्वायत्त निकाय का |
| | पद | | | व्यय | उत्तर |
| | | | | (₹ लाख में) | |
| आई.ए.सी.एस. | 19 | व. प्रोफेसर | ग्रुप ए | 40.00 ¹ | कोई उत्तर नहीं |
| बी.आई. | 12 | व. प्रोफेसर | ग्रुप ए | 16.00 | कोई उत्तर नहीं |
| बी.आई. | 13 | 12 कनिष्ठ | ग्रुप सी | 34.00 | कोई उत्तर नहीं |
| | | प्रयोगशाला | | | |
| | | सहायक एवं 1 | | | |
| | | कनिष्ठ | | | |
| | | ओवरसियर-सह- | | | |
| | | केयरटेकर | | | |
| ए.आर.सी.आई. | 13 | वैज्ञानिक | ग्रुप ए | 437.00 | ए.आर.सी.आई. ने यह |
| | 5 | वैज्ञानिक बी | ग्रुप ए | 193.00 | कहते हुए (नवंबर 2014) |
| | 71 | तकनीकी ए, | ग्रुप ए | 594.64 | नियुक्तियों को |
| | | तकनीकी सहायक | से ग्रुप | | न्यायसंगत सिद्ध किया |
| | | ए, तकनीशियन | सी | | कि गतिविधियां कई गुणा |
| | | सहायक बी, | | | बढ़ गई और वैज्ञानिक |
| | | प्रयोगशाला | | | कर्मचारियों की कमी थी |
| | | सहायक, ड्राइवर | | | |
| आई.आई.ए. | 84 | 66 टेक्निकल/ | ग्रुप ए | 977.00 ² | आई.आई.ए. ने बताया |
| | | प्रशासनिक, 28 | से ग्रुप | | (जनवरी 2015) कि पदों |
| | | अकादमिक | सी | | की विभिन्न श्रणियों के |
| | | कर्मचारी | | | अंतर्गत स्वीकृत पदों का |
| | | | | | विवरण उनके पास नहीं |
| | | | | | था। |
| एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. | 12 | अकादमिक | ग्रुप ए | 327.00 | एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. |
| | 4 | गैर-अकादमिक | ग्रुप ए | 13.71 ³ | ने कहा (नवंबर 2014) |
| | | | | | कि चूंकि मामले की चर्चा |
| | | | | | संबंधित जी.बी. की बैठक |

^{1 19} में से सिर्फ 8 वैज्ञानिक पदों के लिए ₹40 लाख की गणना की गई है।

² केवल 2013-14 के लिए।

³ केवल 2 गैर-अकादमी स्टाफ के लिए ₹ 13.71 लाख की गणना की गई है।

| स्वायत्त निकाय | सृजन/अपग्रेड | अपग्रेड किए गए | स्तर | वेतन पर | लेखापरीक्षा टिप्पणी पर |
|-------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|---|
| | किए गए | पद का नाम | | किए गए | स्वायत्त निकाय का |
| | पद | | | व्यय | उत्तर |
| | | | | (₹ लाख में) | |
| | | | | | के दौरान की गई थी |
| | | | | | तथा अध्यक्ष, जीबी, जो |
| | | | | | सचिव, डीएसटी भी थे, |
| | | | | | द्वारा मंजूरी दी गई थी, |
| | | | | | इसलिए बाद में अलग से |
| | | | | | मंजूरी आवश्यक नहीं |
| एन.ए.एस.आई. | 3 | प्रशासनिक | ग्रुप ए | 75.46 | एन.ए.एस.आई. (मार्च |
| | | | | | 2015) ने कहा कि पदों |
| | | | | | का अपग्रेड परिषद द्वारा |
| | | | | | किया गया था। |
| बी.एस.आई.पी. | 10 | वैज्ञानिक | ग्रुप ए | विवरण | कोई उत्तर नहीं |
| | | | | उपलब्ध नहीं | |
| डबल्यू.आई.एच.जी. | 147 | वैज्ञानिक/तकनीकी/ | ग्रुप ए | 337.00 ⁴ | डबल्यू.आई.एच.जी. ने |
| | | प्रशासनिक | से ग्रुप | | कहा (मई 2015) कि |
| | | | सी | | संस्थान द्वारा पदों के |
| | | | | | सृजन से संबंधित सूचना |
| | | | | | डी.एस.टी. को अप्रैल |
| | | | | | 2004 से कई बार दी |
| | | | | _ | गई थी। |
| आई.ए.एस. | 11 | प्रकाशन/ | ग्रुप ए | विवरण | कोई उत्तर नहीं |
| | | प्रशासनिक | से ग्रुप | उपलब्ध नहीं | |
| | | | सी | |) () () () () () () () () () (|
| जे.एन.सी.ए.एस.आर. | 26 | अकादमिक | ग्रुप ए | विवरण | कोई उत्तर नहीं |
| | | | | उपलब्ध नहीं |) () () () () () () () () () (|
| | 36 | गैर-अकादमिक | ग्रुप ए | विवरण | कोई उत्तर नहीं |
| | | | से ग्रुप | उपलब्ध नहीं | |
| 0 (0 | | 0.0.4 | सी | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| टी.आई.एफ़.ए.सी. | 20 | तकनीकी/गैर- | ग्रुप ए | विवरण | कोई उत्तर नहीं |
| | | तकनीकी | | उपलब्ध नहीं | |
| कुल | 486 | | | 3,044.81 | |

_

^{4 147} में से सिर्फ 8 वैज्ञानिक पदों के लिए ₹ 3.37 करोड़ की गणना की गई है।

परिशिष्ट V (पैराग्राफ 3.4.1 देखें)

मुख्य कार्यकारी की भर्ती से संबंधित चयनित स्वायत्त निकार्यों के बाई-लॉज/विनियमों में व्यतिक्रम

| स्वायत्त निकाय | वर्तमान नियंत्रण का विवरण | वर्तमान नियंत्रण डीओपीटी के अनुदेश के अनुरूप | टिप्पणियां |
|---|--|--|---|
| | | हैं या नहीं | |
| बीएसआई | खोज-सहका गठन डीओपीटी के चयन समिति | आंशिक | समिति द्वारा सिफ़ारिश की |
| पी | द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप किया जाएगा। समिति में पाँच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। समिति के सदस्य विशेषज्ञता के क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे। समिति की संरचना डीओपीटी द्वारा मंजूर की जाएगी। | | जाने वाली पैनल की एक वर्ष की अवधि निर्धारित नहीं थी। |
| आईएसीए स | परिषद निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित भर्ती नियमावली एवं प्रक्रियाओं का पालन कराते हुए की जाएगी। | नहीं | खोज सह चयन समित के बारे में उल्लेख नहीं है जैसा कि डी.ओ.पी.टी. के अनुदेश में परिकल्पित है। |
| एआरआई ईएस, सीएनएस एमएस | निदेशक पद पर नियुक्ति परिषद द्वारा खोज-सह- चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से की जाएगी। खोज-सह- चयन समिति का गठन भी परिषद द्वरा केंद्र सरकार की मंजूरी से की जाएगी। सचिव, डीएसटी खोजचयन समिति-सह-के अध्यक्ष होंगे। | नहीं | अध्यक्ष एवं कम से कम एक बाहरी प्रख्यात विशेषज्ञ सहित अधिक से अधिक पांच सदस्यों वाले समिति की संरचना निर्धारित नहीं की गई थी। समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाने वाली पैनल की एक वर्ष की अविध निर्धारित नहीं थी। |
| जेएनसीए एसआर/ए सएनबीए नसीबीएस /बीआई/आ रआरआई/ एनएएस आई आईएएस | नियुक्ति केंद्र के प्रबंध परिषद द्वारा किए जाने के लिए:/ शासी निकाय द्वारा गठित खोज-सह-चयन सिमिति की सिफ़ारिश पर शासी निकाय के आमंत्रण द्वारा/ संस्थान के भीतर चयन सिमिति की सिफ़ारिश पर परिषद द्वारा/ ट्रस्ट नियुक्ति हेतु प्रक्रिया बना सकता है/ किसी आर एंड डी संस्थान ने, एस एंड टी कार्यक्रम के प्रबंधन एवं समन्वय में ज़िम्मेवार पद पर 15 वर्षों का अनुभव अकादमी में सभी नियुक्तियाँ अध्यक्ष के द्वारा की जानी चाहिए जो परिषद के प्रमुख है | नहीं नहीं | खोज-सह-चयन समिति के गठन की मंजूरी से संबंधित डीओपीटी के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उक्त समिति में संबंधित क्षेत्र से कम से कम एक प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे, एबी द्वारा इस तरह के चयन हेत् मानदंडो को अंतिम रूप देने तथा जापन एवं संस्था के |
| आईएनए सए | खोज-सह-चयन समिति | नहीं | अंतर्नियम, एवं बाई-लॉज आदि के संशोधन में डीओपीटी के |

| आईआई | निदेशक पद पर नियुक्ति शासी परिषद द्वारा की | नहीं | दिशा-निर्देशों को पूरी तरह |
|----------|--|------|----------------------------|
| जी | जाएगी। नियुक्ति, हालांकि, भारत सरकार की पूर्व | | सम्मिलित किया जाएगा। यह |
| | मंजूरी से की जाएगी। | | अनुपस्थित था। |
| एआरआई | निदेशक पद पर नियुक्ति शासी निकाय द्वारा केंद्र | नहीं | |
| | सरकार की सहमति से की जाएगी। | | |
| टीआईएफ़ | निदेशक का नियुक्ति प्राधिकार टीआईएफ़एसी की | नहीं | |
| एसी | जीबी को है। | | |
| डबल्यूआई | संस्थान के निदेशक विख्यात पृथ्वी वैज्ञानिक होंगे | नहीं | |
| एचजी | तथा जीबी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे | | |
| आईआईए, | नियुक्ति भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से | नहीं | खोज-सह-चयन समिति का |
| एआरसी | शासी परिषद द्वारा की जाएगी। | | कोई उल्लेख नहीं था जैसा कि |
| आई | | | डीओटीपी के निदेश में |
| | | | परिकल्प्ति था। |

परिशिष्ट VI (पैराग्राफ 3.4.3 देखें)

सरकारी भर्ती नियमावली तथा स्वायत्त निकायों के भर्ती नियमावली में समाविष्ट प्रावधानों में व्यतिक्रम

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान | स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम |
|-------------------|---|---|
| सी.एन.एस.एम.एस. | भर्ती की उच्चतम आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष | वैज्ञानिक सी से ई संवर्ग में भर्ती की उच्चतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी गई थी। |
| डबल्यू.आई.एच.जी. | भर्ती की उच्चतम आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष | वैज्ञानिक सी से ई संवर्ग में भर्ती की उच्चतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी गई थी। |
| जे.एन.सी.ए.एस.आर. | शैक्षिक योग्यता प्रोफेसर- पीएचडी योग्यता सहित विख्यात शोध छात्र तथा 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर- पीएचडी की डिग्री के साथ कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव | साथी एवं सहयोगी कर्मचारियों के लिए कोई अनिवार्य तथा वांछनीय शैक्षिक योग्यता एवं उच्चतम आयु सीमा नहीं को जोड़ा गया था। |
| ए.आर.आई.ई.एस. | भर्ती की आयु सीमा, योग्यता और अनुभव वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप- कुलसचिव के रूप में उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक | वैज्ञानिक/अभियंता संवर्ग में भर्ती हेतु कोई उच्चतम आयु सीमा विनिर्दिष्ट नहीं था। कुलसचिव, उप/सहायक कुलसचिव तथा सहयोगी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु शर्ते एवं निबंधन प्राप्य नहीं थें। |

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान | स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम |
|-----------------------|--|--|
| | कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव | |
| आई.ए.सी.एस. | वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई पद नहीं कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप- कुलसचिव के रूप में उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्षों का अनुभव | वरिष्ठ प्रोफेसर तथा प्रोफेसर हेतु योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी जबिक केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उसकी आवश्यकता थी। कुलसचिव तथा उप कुलसचिव की भर्ती हेतु अपेक्षित अंकों का प्रतिशत निर्धारित नहीं था। |
| एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. | भर्ती नियमावली में वैज्ञानिक तथा अकादिमक कर्मचारी दोनों के लिए सामानांतर भर्ती की व्यवस्था थी, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक बी -जीपी 5,400 विरष्ठ प्रोफेसर का कोई पद नहीं | भर्ती नियमावली में वैज्ञानिक तथा अकादिमिक कर्मचारी दोनों के लिए सामानान्तर भर्ती की व्यवस्था थी, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उपलब्ध नहीं है। नियमों में ₹ 6600 के जीपी में वैज्ञानिकों की शुरूआती भर्ती का प्रावधान भी था, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, भर्ती नियमावली में विरष्ठ प्राध्यापकों की सीध भर्ती के लिए भी प्रावधान था जबकि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली मों नियमावली में विरष्ठ प्राध्यापकों की सीध भर्ती के लिए भी प्रावधान था जबकि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में वह उपलब्ध नहीं है। |
| बी.आई. | प्राध्यापक की भर्ती के मामलें में, अनिवार्य योग्यता प्रख्यात पीएचडी शोध छात्र सहित कम से कम दस प्रकाशनों यथा पुस्तक एवं/अथवा शोध/नीति पत्रों, प्रोद्योगिकी परिकल्पना में योगदान भी है। | प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता डॉक्टरेट की उपाधि तथा प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध कार्य था। एक ओर जहां कर्मचारी के प्रत्येक श्रेणी हेतु ऊपरी आयु सीमा नियत था, वहीं दूसरी ओर संस्थान ने एक सामान्य खण्ड यह बताते हुए रखा कि सीधे भर्ती के मामले में, दूसरे प्रकार से सुयोग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में: आयु सीमा, योग्यता तथा किसी भी पद के लिए अन्य आवश्यकताएँ नियुक्ति प्राधिकार के विवेकानुसार |

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान | स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम |
|----------------|--|---|
| | | कम की जा सकती थी, तथा दूसरी ओर यह कि केवल बीआई में कार्यरत अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा लागू नहीं होगी। |
| | वरिष्ठ व्याख्याता की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। | भर्ती नियमावली में वरिष्ठ व्याख्याता के लिए सीधे भर्ती का प्रावधान शामिल किया गया था। |
| | कुलसचिव तथा उप-कुलसचिव के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर है। | निर्धारित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से केवल डिग्री (स्नातक) था। |
| एन.ए.एस.आई. | बैज्ञानिक ई/एफ ग्रेड के लिए पीएचडी अनिवार्य है। | अनिवार्य योग्यता स्नातकोत्तर निर्धारित था। |
| बी.एस.आई.पी. | योग्यता और अनुभव वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष | वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' के लिए आयु में 5 वर्षों की छूट दी गई थी। |
| | योग्यता प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि जीपी ₹4600 में तकनीकी कर्मचारी के लिए उच्च आयु सीमा 30 वर्ष है। कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप- कुलसचिव के रूप में | वैज्ञानिक 'ई' तथा वैज्ञानिक 'एफ़' की भर्ती में निर्धारित पीएचडी की अनिवार्य योग्यता आवश्यक नहीं है। तकनीकी कर्मचारी की भर्ती के लिए भी आयु में छूट निर्धारित की गई थी। कुलसचिव की भर्ती के मामले में कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं थी। |
| आई.आई.ए. | वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष योग्यता और अनुभव | वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के लिए कोई उच्च आयु-सीमा निर्धारित नहीं थी। वैज्ञानिक बी वैज्ञानिक सी तथा वैज्ञानिक डी के पदों के संबंध में विहित आवश्यक अनुभव केंद्र सरकार |

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान | स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम | |
|----------------|---|---|--|
| | वैज्ञानिक जी-50 वर्ष | भर्ती नियमावली में निर्धारित आवश्यक अनुभव से कम था। | |
| | कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप- कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव | अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं | |
| ए.आर.सी.आई. | आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष योग्यता कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप- कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव | वेतनमान ₹18400-22400 के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यता निर्धारित नहीं थी। न्यूनतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई थी। | |
| आई.ए.एस. | आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष योग्यताएँ | कोई आयु मानदंड/कोई निर्धारित/ वांछनीय योग्यता उपलब्ध नहीं। नियुक्ति के लिए आवेदन पर भी अकादमी के अधिसदस्यों की सिफ़ारिशों के आधार पर विचार किया गया। | |

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान | स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम |
|----------------|--|--|
| | कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप- कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव | |
| आई.आई.जी. | यूजीसी वेतनमानों के अनुसार, विविध पदों के वेतनमान, प्रोफेसर [₹ 4,500- 7,300], व्याख्याता (वरिष्ठ)/प्रवाचक [₹ 3,700-5,700, व्याख्याता (वरिष्ठ) [₹ 3,000-5,000] एवं व्याख्याता (₹ 2,200-4,000] थैं। | प्राध्यापक (जी) [₹ 5,900-6,700], प्रोफेसर (एफ़) [₹ 5,100-6,300], सह प्राध्यापक [₹ 3,700-5,000], उपाचार्य |

परिशिष्ट VII (पैराग्राफ 3.4.4 (अ) देखें)

भारतीय विज्ञान अकादमी में भर्ती प्रक्रिया में कमियाँ

| वर्ष | पद | लेखापरीक्षा टिप्पणी | | |
|---------|------------------------------|--|--|--|
| 2013-14 | लेखा सहायक | साक्षात्कार हेत् पुष्ट किए गए अभ्यर्थियों के रूप में उसका उल्लेख करते हुए 'लेखा सहायक के पद हेत् प्राप्त आवेदनों का विवरण' शीर्षक का शीट हस्ताक्षरित नहीं था। सूचना जैसे कि प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदनों को जाँचने के लिए अपनाए गए मानदंड अभिलेख में नहीं थे। चयन समिति द्वारा आवेदकों को कोई अंक प्रदान नहीं दिया गया था। | | |
| | सहायक कार्यकारी संपादक | सूचना जैसे के प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं अभ्यर्थियों को संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के लिए अपनाया गया मानदंड आदि अभिलेख में नहीं था। पद के लिए दिए गए विज्ञापन के अनुसार, आवेदक को 15 वर्षों से अधिक का संबंधित अनुभव आवश्यक था। 12 संक्षिप्त सूचीबद्ध आवेदको में से सिर्फ दो अभ्यर्थी मानदंडों को पूरा करते थे परंतु दोनों ने साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। इस पद के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के पास 12 वर्षों का अनुभव था और इस प्रकार वह इस पद हेतू पात्र नहीं था। | | |
| 2012-13 | सहायक कार्यकारी सचिव | विज्ञापन में पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। आवेदनों का विवरण शीट हस्ताक्षिरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक आवेदक जो आंतरिक अभ्यर्थी था उससे अधिक उम्र का था इसलिए वह इस पद के लिए पात्र नहीं था। फिर भी, उसका आवेदन या तो जांच के चरण में या साक्षातर के चरण में अस्वीकार नहीं किया गया। | | |
| | कार्यकारी संपादक | विज्ञापन में पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। आवेदनों का विवरण शीट हस्ताक्षिरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी पाया गया की आंतरिक अभ्यर्थी में से एक की आयु 52 वर्ष दिखाई गई थी जब की अंतिम तिथि को उसकी आयु 52 वर्ष एक महीना और 11 दिन था। इस प्रकार सही आंकड़ा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। | | |
| | प्रशासनिक सहायक | विज्ञापन में पदों का उल्लेख नहीं था। आवेदनों का विवरण का शीट हस्ताक्षरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गित होनी चाहिए। टंकण जांच परीक्षा अगर कोई, अभ्यर्थियों के टंकण ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए अकादमी द्वारा लिया गया हो, से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। तीन आवेदन कम अनुभव के आधार पर अस्वीकार किए गए थे हालांकि सभी के पास तीन वर्षों से अधिक का अनुभव था जैसा कि निर्धारित था। | | |
| | उप कार्यकारी सचिव | विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठन/उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव होना चाहिए जिसमें से कम से कम 10 वर्षों का किसी पर्यवेक्षी पद में होनी चाहिए। नौ अभ्यर्थियों, जिन्होंने आवेदन किया था, में से किसी भी अभ्यर्थी के पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव नहीं था। फिर भी, अकादमी ने तीन अभ्यर्थी को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया तथा पात्रता मानदंडो को पूरा नहीं करने के बावजूद एक व्यक्ति का चयन कर लिया। | | |

| वर्ष | पद | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---------|--|--|
| 2010-11 | लेखा अधिकारी, कॉपी संपादक एवं प्रशासनिक सहायक | लेखा अधिकारी के पद हेत् अकादमी को 135 आवेदन प्राप्त हुए तथा 12 आवेदनों को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया। इसी प्रकार, कॉपी संपादक के मामले में अकादमी को 122 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 13 आवेदन संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए तथा प्रशासनिक सहायक हेत् 148 आवेदन प्राप्त किए गए एवं 13 आवेदन संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए। अभिलेख में कोई मानदंड नहीं था जिसके आधार पर इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार किया गया। |
| | कार्यकारी सचिव | अकादमी ने खुले विज्ञापन द्वारा कार्यकारी सचिव के पद हेतू आवेदन आमंत्रित किये। विज्ञापन में आवेदक के अधिकतम आयु के बारे में कोई सूचना निहित नहीं थी। अकादमी के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए सात सदस्यों की चयन समिति गठित की। फिर भी, आवेदनों की जांच के लिए समिति द्वारा अपनाया गया मानदंड अभिलेख में नहीं था। |
| 2009-10 | प्रकाशन कार्मिक | अकादमी ने अपनी पत्रिका के संपादन, प्रूफ पढ़ने एवं सामान्य उत्पादन हेतू अनुभवी प्रकासन कार्मिक के लिए विज्ञापन जारी (मार्च 2007) किया। तथापि, अकादमी ने भरे जाने के लिए स्थिति, पदों कि संख्या, क्या अस्थाई अथवा स्थाई, आयु सीमा इत्यादि का खुलासा नहीं किया। विज्ञापन के विरुद्ध 14 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच, अनुशंसित अभ्यर्थियों, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का विवरण इत्यादि से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। |

परिशिष्ट VIII (पैराग्राफ 3.4.4 (बी) देखें) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरू में भर्ती में मुद्दे

| मुद्दे | लेखापरीक्षा टिप्पणी | | |
|--|--|--|--|
| खुले विज्ञापन के बिना की गई भर्ती | एक सह प्राध्यापक एवं छह उपाचार्य की भर्ती 2009-10 से 2013-14 के दौरान की गई थी, फिर भी, किसी भी मामले में अकादिमक पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता, रिक्तियों की संख्या दर्शाते हुए विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। पिरणामस्वरूप एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु सिर्फ एक व्यक्ति ने आवेदन किया और चयनित कर लिया गया। की भर्ती के लिए आईआईए को 11 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से चार अभ्यर्थी स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित किए गए थें। तथापि, चयन समिति ने रीडर के पद हेतु उस अभ्यर्थी को विचार किया जो चौथे स्थान पर था तथा आवश्यक पाँच वर्षों का अनुभव नहीं होने के बावजूद नियुक्त किया गया। | | |
| अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती | संस्थान ने लेह में ड्राइवर के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया तथा अप्रैल 2013 में विज्ञापन जारी किया। 23 आवेदन प्राप्त हुए। विज्ञापन के अनुसार पद के लिए योग्यता एसएसएलसी (10वीं) एवं निर्धारित उम्र 28 वर्ष से कम थी। उन मामलों में योग्यता में छूट दी जा सकती थी जहां अभ्यर्थी के पास काफी ऊँचाई एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग में पाँच वर्षों से अधिक का अनुभव था। स्क्रीनिंग समिति ने साक्षात्कार हेतु आठ अभ्यर्थियों की सिफ़ारिश की जिस में से एक अभ्यर्थी को आयु में छूट दी गयी थी। हमने देखा कि आठ अनुशंसित अभ्यर्थियों में से तीन के पास न्यूनतम योग्यता नहीं थी। तत्पश्चात संस्थान की चयन समिति ने छह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया और उस पद के लिए एक अभ्यर्थी की सिफारिश की तथा दो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा। तथापि, चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति के बजाय प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान किया गया, जो अनियमित था। इसके अलावा, चयन के लिए शुरुआत में अनुशंसित किए गए व्यक्ति को भी बाद में नियुक्ति प्रदान किया गया, यह कहते हुए कि विज्ञापित पद सामान्य श्रेणी के लिए था और उस पद को तत्काल आधार पर एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति करके भर दिया गया था। इसके अलावा, पदों के रोस्टर के सारांश की जांच में पता चला कि ओबीसी श्रेणी को छोड़ कर किसी भी श्रेणी में कोई रिक्ति नहीं थी। इस प्रकार ओबीसी श्रेणी की रिक्त के विरुद्ध एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति | | |
| उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना शीर्ष प्रबंधन की भर्ती | भी अनियमित थी। डीएसटी ने खोज-सह-चयन समिति का गठन (जो डीओपीटी की मंजूरी से गठित किया जाना था) किए बगैर जनवरी 2006 में एसीसी की मंजूरी से संस्थान के निदेशक की नियुक्ति की। तत्पश्चात, एक वर्ष (01 जुलाई 2012 से 30 जून 2013) के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। तथापि, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए भी एसीसी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। | | |

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 3.5.1 i देखें)

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता में न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि में कमी

(राशि ₹ में)

| | | _ | | | | | () | राशि र म। |
|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| शैक्षिक | न्यूनतम | वेतनमान | न्यूनतम | वेतनमान | न्यूनतम | वेतनमान | न्यूनतम | वेतनमान |
| स्टाफ की | निवास की | | निवास की | | निवास की | | निवास की | |
| श्रेणी | अवधि | | अवधि | | अवधि | | अवधि | |
| | 1998-2004 में | युजीसी | 1998-2004 में 3 | भाईएसीएस में | 2004 के बाद | यूजीसी मानदंड | 2004 के बाद अ | ाईएसीएस में |
| | मानदंड | | कार्य | | | • | कार्य | |
| निदेशक | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | | 26,000 |
| | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | | (स्थिर) |
| चेयर | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | | 22,400- |
| प्रोफेसर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | | 24,500 |
| व. प्रोफेसर | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | परिभाषित | 5 वर्ष | 18,400- |
| | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 वर्षके | 22,400 |
| | | | | | | | पश्चात | |
| | | | | | | | असाधारण | |
| | | | | | | | प्रदर्शन के | |
| | | | | | | | मामले में | |
| प्रोफेसर | रीडर के रूप | 16,400- | 7 वर्ष | 16,400- | रीडर के रूप | 16,400- | 5 वर्ष | 16,400- |
| | में 8 वर्ष की | 22,400 | 5 वर्ष के | 22,400 | में 8 वर्ष की | 22,400 | 4 वर्षके | 20,000 |
| | सेवा | | पश्चात | | सेवा | | पश्चात | |
| | | | असाधारण | | | | असाधारण | |
| | | | प्रदर्शन के | | | | प्रदर्शन के | |
| | | | मामले में | | | | मामले में | |
| रीडर/ | वरिष्ठ | 12,000- | 7 वर्ष | 12,000- | वरिष्ठ | 12,000- | 5 वर्ष | 14,300- |
| लेक्चरर | वेतनमान में | 18,300 | 5 वर्ष के | 18,300 | वेतनमान में | 18,300 | 4 वर्षके | 18,300 |
| | 5 वर्षों की | | पश्चात | | 5 वर्षों की | | पश्चात | (एसोसिएट |
| | सेवा | | असाधारण | | सेवा | | असाधारण | प्रोफेसर के |
| | | | प्रदर्शन के | | | | प्रदर्शन के | रूप में) |
| | | | मामले में | | | | मामले में | , |
| व. लेक्चरर | उनके लिए | 10,000- | 5 वर्ष | 10,000- | उनके लिए | 10,000- | 4 वर्ष | 12,000- |
| | जो एम. | 15,200 | 2 वर्षों के | 15,200 | जो एम. | 15,200 | 3 वर्ष के | 18,000 |
| | फिल एवं | , | पोस्ट- | , | फिल एवं | , | पश्चात | (असिस्टेंट |
| | पीएचडी हैं | | डॉक्टोरल | | पीएचडी हैं | | असाधारण | प्रोफेसर के |
| | को एक वर्ष | | अनुभव तब | | को एक वर्ष | | प्रदर्शन के | रूप में) |
| | एवं दो वर्षी | | तीन वर्ष के | | एवं दो वर्षी | | मामले में | , , , |
| | की छूट के | | पूर्ण होने पर | | की छूट के | | | |
| | साथ 6 वर्ष | | , , | | साथ 6 वर्ष | | | |
| लेक्चरर | | 8,000- | | 8,000- | | 8,000- | | 10,000- |
| | | 13,500 | | 13,500 | | 13,500 | | 15,200 |
| | | , | | , | | , - | | (संकाय |
| | | | | | | | | सदस्य के |
| | | | | | | | | रूप में) |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | | | , , , ,,, |

परिशिष्ट X (पैराग्राफ 3.7.1 देखें)

स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज में सेवानिवृत्ति प्रावधानों की मौजूदगी

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बाई-लॉज में नियंत्रण प्रावधानों को सम्मिलित करना | जिसके लिए डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन रिकार्ड में नही पाया गया के संबंध में जीबी/जीसी द्वारा बनाए गए नियम जिनका प्रावधान सरकारी नियमों से भिन्न था। | सम्मिलित नहीं किए गए प्रावधान |
|-------------------|--|---|---|
| एआरसीआई | अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विस्तार, ग्रेच्युटी, ईपीएफ़ | चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, समाप्ति | श्न्य |
| एआरआई | अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़, विस्तार | शून्य | श्र्न्य |
| एआरआईई एस | अधिवर्षिता की आयु, विस्तार, जीपीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति | चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति | सेवा समाप्ति |
| बीआई | श्र्न्य | अधिवर्षिता, विस्तार, समाप्ति और भविष्य निधि | पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति |
| बीएसआई पी | अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पेंशन, ग्रेच्युटी, विस्तार | समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जीपीएफ | श्र्न्य |
| सीएनएसए मएस | अधिवर्षिता, ग्रेच्युटी/सीपीएफ़, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता से आगे विस्तार | सेवा समाप्ति | चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति |
| आईएसीएस | विस्तार | पेंशन, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति | अधिवर्षिता, समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी |
| आईएएस | श्र्न्य | विस्तार, जीपीएफ़, पॅशन, अधिवर्षिता की आयु | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति |
| आईआईए | पेंशन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता | विस्तार | समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति |
| आईआईजी | अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़, विस्तार | शूल्य | शून्य |
| आईएनएसए | अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ/सीपीएफ, विस्तार | शून्य | शूल्य |
| जेएनसीएए सआर | श्र्न्य | सेवानिवृत्ति लाभ, व्स्तार, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति एवं | अधिवर्षिता, जीपीएफ़/सीपीएफ़ |

| स्वायत्त निकाय | केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बाई-लॉज में नियंत्रण प्रावधानों को सम्मिलित करना | जिसके लिए डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन रिकार्ड में नही पाया गया के संबंध में जीबी/जीसी द्वारा बनाए गए नियम जिनका प्रावधान सरकारी नियमों से भिन्न था। | सम्मिलित नहीं किए गए प्रावधान |
|--------------------|---|---|---|
| | | स्वैच्छिक सेवानिवृति | |
| एनएएसआई | अधिवर्षिता, समाप्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति लाभ | सेवा विस्तार | जीपीएफ़/सीपीएफ़ |
| आरआरआई | शून्य | अधिवर्षिता, विस्तार, जीपीएफ़/सीपीएफ़, समाप्ति, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी | चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति |
| एसएनबीए नसीबीएस | सेवा-निवृत्ति | अनिवार्य सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी | विस्तार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, जीपीएफ़/सीपीएफ़, सेवा समाप्ति |
| टीआईएफ़एसी | अधिवर्षिता की आयु | विस्तार, समाप्ति | चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़ |
| डबल्यूआईए चजी | पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ़ | अधिवर्षिता सहित सेवानिवृत्ति, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति | विस्तार, समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति |